राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	226/2017	जगदीश प्रसाद रैगर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, पांच बत्ती, जयपुर। 4. प्रभारी, वेटनरी चिकित्सालय, Nayan, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर।
2.	227/2017	विजय सिंह गुर्जर	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, पशुधन भवन, टोंक रोड़, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, करौली। 4. प्रभारी, वेटनरी चिकित्सालय, Guda Chandraji, जिला करौली

आदेश की दिनांक : 26.07.2024

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री एस.एल. कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 226/2017 जगदीश प्रसाद रैगर बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. अपीलार्थी ने अपील संख्या 226/2017 में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति श्रेणी का व्यक्ति है एवं माध्यमिक परीक्षा पास होने की योग्यता रखता है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 07.09.1979 के द्वारा पशुपालन विभाग में दिनांक 11.09.1979 को सईस के पद पर हुई थी। अपीलार्थी माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 16.11.2006 को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों की अंतिम वरियता सूची जारी की, जिसमें दिनांक 31.03.1998 तक की सूची दर्शायी गयी। उस सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 74 पर था। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता का यह भी

कथन है कि अपीलार्थी सईस के पद पर कार्यरत था, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद है। अपीलार्थी वर्ष 1998–99 की डीपीसी में एलडीसी के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को एलडीसी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। बाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में सईस सईस/जलधारी/गड़रिया/सफाईकर्ता के पद से पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक जारी किया गया है, जिसमें सईस से पशुधन सहायक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ की है। अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही में भी पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी की ओर से निम्न प्रकार से प्रार्थना की गयी हैं:–

> "It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be accepted and allowed and by an appropriate order or direction, the respondents may kindly be directed to grant promotion to the Appellant on the post of LDC w.e.f. the date, from which the persons junior to him, have been granted promotion on the said post, with all consequential benefits and the arrears whereof be also paid to him with interest @ 12% p.a.
>
> Without prejudice to the above, it is submitted that even if the Department is of the opinion that the promotion from the post of Saees / Jaldhari / Gadariya / Safai Karta are to the made on the post of Pashudhan Sahayak and they do not fall in the cadre of Class-IV employees, in that event the respondents may kindly be directed to extend the benefit of promotion to the Appellant in the cadre, in which he is performing his duties by considering his seniority, with all consequential benefits and the arrears whereof be also paid to him with interest @ 12% p.a.
>
> Any other appropriate order or direction, which this learned Tribunal may deem just and proper in the facts of the present case, may also be passed in favour of the Appellant."

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि सईस का पद पशु चिकित्सालयों में पशुओं से संबंधित कार्य हेतु सृजित है, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद केवल कार्यालय के कार्य हेतु सृजित है। दोनों पदों के संवर्ग दिनांक 01.04.1998 से पृथक पृथक है तथा पृथक पृथक सेवा नियमों से शासित होते है। दिनांक 25.06.2009 द्वारा जारी अंतिम

वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदौन्नति दी गयी, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता एवं योग्यता में नही आने के कारण से पदौन्नति नही दी गई तथा यह वरिष्ठता सूची दिनांक 31.03.1998 तक वैध रही, इसके पश्चात् दिनांक 01.04.1998 से तकनीकी कर्मियों के लिए पृथक से सेवा नियम बने हुए है। एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या–1597/2004 उनवानी नोकराम–बनाम–राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.04.2004 निम्न प्रकार से है :–

> "The Petitioner is directed to file a representation stating therein the grievaes and relief claimed in the writ petition to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, who shall, in turn, place the same before the committee with a direction to decide the same within a period of two months from the date of receipt thereof. It is made clear that the copy of the order of the Committee passed on the representation notice for demand of justice is to be sent to thepetitioner immediately thereafter by registered post AD. In case the petitioner does not satisfy with the order of the Committee on his representation notice for demand of justice, he shall have a right of appeal against that order before the learned Tribunal.
>
> The writ petition and the stay application filed therewith stand disposed of accordingly."

उक्त निर्णय की पालना में विभाग द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय स्थाई कमेटी का गठन किया गया, स्थाई कमेटी की बैठक दिनांक 25.09.2004 को रखी गई जिसमें यह निर्णय पारित किया गया :–

> ''1. राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 में दिनांक 01.04.1998 से संशोधन प्रभावी होने के फलस्वरूप सफाईकर्ता का पद पशु चिकित्सा सम्बन्धी तकनीकी कर्मचारी का हो गया है। अतः संशोधित नियमानुसार सफाईकर्ता को पट्टी बन्धक/प्रयोगशाला अनुचर के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान होने के कारण, पीटिश्नर का मंत्रालयिक स्टाफ नियम 1957 के उपनियम 7(3) (जो दिनांक 31.05.1999 को रिपील हो गये है) में कनिष्ठ लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का हक अब नही बनता है। परन्तु वर्ष 1997–98 तक पुराने नियम ही लागू होंगे।
>
> 2. अतः राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 में दिनांक 01.04.1998 के संशोधन से पूर्व दिनांक 31.03.1998 तक की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाईकर्ता/सईस/जलधारी पद की वरिष्ठता सूची के अनुसार

यदि कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु विभाग में एल.डी.सी. के 15 प्रतिशत पदों पर पीटिशनर का कोई अधिकार बनता हो तो उसे नियमानुसार पदोन्नति हेतु कंसीडर कर निदेशक, पशुपालन नियमानुसार कार्यवाही करें।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य स्तरीय गठित कमेटी की अनुशंषा पर विभाग में कार्यरत समस्त तकनीकी एवं गैर तकनीकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाईकर्ता/जलधारी/पशुधन परिचर/प्रयोगशाला अनुचर की एकजाई वरिष्ठता सूची जारी कर दिनांक 31.03.1998 तक नियुक्त कर्मियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर दिनांक 25.06.2009 को जारी की गई थी। जिसके अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदौन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित पदोन्नति कोटे के अनुसार पदों का वर्ष 1980–81 से वर्ष 1997–98 तक नियुक्त कर्मियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदौन्नति दी गई। जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सह योग्यता में नही आने के कारण से पदौन्नति नियमानुसार नही दी गई। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है। सफाईकर्ता का पद राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम–1977 से दिनांक 01.04.1998 से शासित हो गया। इस कारण अपीलार्थी की पदौन्नति मंत्रालयिक सेवा नियमों के तहत वर्ष 1997–98 के बाद नियमानुसार नही की जा सकती है। चयनित वेतनमान सभी संवर्गो में समान रूप से दिये जाने का प्रावधान है एवं अपीलार्थी को भी नियमानुसार चयनित वेतनमान दिया जा रहा है। अपीलार्थी को राजस्थान पशुपालन अधिनस्थ सेवा नियम–1977 के अनुसार नियमानुसार वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी।''

5. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अनुशीलन एवं मनन किया।

6. अपीलार्थी ने इस अपील में उसकी नियुक्ति सईस के पद पर होना बताया है और उसके द्वारा एलडीसी के पद पर पदोन्नति किये जाने की मांग की गई है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा व्यक्त किया गया है कि सईस का पद, पशु चिकित्सालयों में पशुओं से संबंधित कार्य हेतु सृजित है जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद केवल कार्यालय के कार्य हेतु सृजित है। दोनों पदों के संवग दिनांक 01.04.1998 से पृथक पृथक, सेवा नियमों से शासित होते हैं। दिनांक

16.11.2006 को जारी प्रोविजनल वस्थिता सूची थी. जिसके अनुसार पदोन्नति नहीं दी गई। दिनाक 25.06.2009 द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता सेह योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता एवं योग्यता में नहीं आने के कारण से पदोन्नति नहीं दी गई तथा यह वरिष्ठता सूची दिनांक 31.03.1998 तक वैध रही. इसके पश्चात दिनांक 01.04.1998 से तकनीकी कर्मियों के लिए पृथक से सेवा नियम बने हुए है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1597/2004 उनवानी नोकराम बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.04.2004 को उद्धृत किया गया। उक्त निर्णय की पालना में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, कमेटी के निर्णय दिनांक 25.09. 2004 द्वारा राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में दिनांक 01.04. 1998 से संशोधन प्रभावी होने के फलस्वरूप सफाईकर्ता का पद पशु चिकित्सा संबंधी तकनीकी कर्मचारी का हो गया है। अतः संशोधित नियमानुसार सफाईकर्ता को पट्टी बन्धक/प्रयोगशाला अनुचर के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान होने के कारण, पीटिश्नर का मंत्रालयिक स्टाफ नियम 1957 के उपनियम 7(3) (जो दिनांक 31.05.1999 को रिपील हो गये है) में कनिष्ठ लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का हक अब नहीं बनता है। परन्तु वर्ष 1997–98 तक पुराने नियम ही लागू होंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य स्तरीय गठित कमेटी की अनुशंषा पर विभाग में कार्यरत समस्त तकनीकी एवं गैर तकनीकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/सफाईकर्ता /जलधारी/पशुधन परिचर/प्रयोगशाला अनुचर की एकजाई वरिष्ठता सूची जारी कर दिनांक 31.03.1998 तक नियुक्त कर्मियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार कर दिनांक 25.06.2009 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित पदोन्नति कोटे के अनुसार पदों का वर्ष 1900–81 से वर्ष 1997–98 तक नियुक्त कर्मियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सह योग्यता में नहीं आने के कारण से पदोन्नति नियमानुसार नहीं दी गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। सफाईकर्ता का पद राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 से दिनांक 01.04.1993 से शासित हो गया। इस कारण अपीलार्थी की पदोन्नति मंत्रालयिक सवा नियमों के तहत वर्ष 1997–98 के बाद नियनानुसार नहीं की जा सकती है।

7. इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार है तथा अपीलार्थी द्वारा इसके खण्डन में कोई मान्य नियमो के प्रावधानों के आधार पर अपील के तथ्यों को प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अपील खारिज योग्य है। अतः अपील बलहीन एवं सांरद्दीत होने के कारण खारिज की जाती है।
8. आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 226/2017 में एवं इस आदेश की सत्य प्रति अन्य अपील संख्या 227/2017 की पत्रावली में सलंग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)